फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/4/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः आग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/4/24 को पेश हो। [illegible]
	25/4/24	ए० फ० उप०। राजीनामा हेतु उभयपक्षकारान की उपस्थिति हेतु एक ओर अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते पेश करने राजीनामा हेतु दिनांक 15/5/24 को पेश हो। [illegible]
राम कुंवर सुमन कंवर गायत्री [illegible] प्रेम देवी [illegible]	15/5/24	व० वादी उप०। प्रकरण में राजीनामा हेतु उभयपक्षकारान उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान ने आपस में राजीनामा होने की सहमति दी। पूर्व में पेश 20/11/2021 को दौरान प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम खेजड़ोली में पेश राजीनामे को पक्षकारान की सहमति के आधार पर तस्दीक किया जाता है। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद [illegible] पृथक से [illegible] [illegible] किया [illegible] अनुसार होकर दर्ज नम्बर [illegible] हो। [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–160 / 2016
उनवान– राम कंवर बनाम राजेन्द्र सिंह
निर्णय दिनांक– 15.05.2024

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0 / मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–160 / 2016

उनवान

श्रीमति राम कॅवर पुत्री स्व0 श्री नारायण सिंह पत्नि श्री भवानी सिंह जाति राजपूत, निवासी भगत सिटी पेट्रोल पम्प के पास ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
2. कंचन कंवर पुत्री गोपाल सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. बंशीधर पुत्र कजोडमल
4. कमल पुत्र कजोडमल
   जाति माली, निवासी राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि गौरी शंकर
6. श्रीमति सन्तोष पत्नि रामजीवन
7. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि सीताराम
   जाति कुमावत, निवासीयान मकान नम्बर 344, नन्दपुरी कॉलोनी, बाईस–गोदाम, जयपुर।
8. श्रीमति सुमन कंवर पुत्री स्व0 श्री नारायण सिंह पत्नि उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, निवासीया नारायण दास की छतरी के पास ग्राम कुशलपुरा वाया पीपराली, जिला सीकर राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–15.05.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि भूमि खाता संख्या 242 की आराजी खसरा नम्बर 4254 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 4255 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 4257 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 का कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 241 की आराजी खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.71 हैक्टेयर, 3131 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3132 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3133 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 3134 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3135 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3137 / 8919 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141 / 8922 [illegible] हैक्टेयर, [illegible] 8 का कुल रकबा 02.51 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली–बी, पटवार हल्का खे[illegible]–बी, [illegible] अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जय[illegible] एवं प्रतिवादीया संख्या 8 व भाई दातार सिहं का क्रमशः 1 / 12, 1 / 12, 1 / 12 हिस्सा निहित रहा है। दातार सिहं पुत्र नारायण सिहं विगत 20 / 25 वर्षो से वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 को व जाति बिरादरी व कौटुम्बीक सदस्यों को छोडकर कहीं लापता हो गया। विगत 20–25 वर्षो से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 के भाई दातार सिंह का कहीं अता–पता नहीं है कि वह जीवित है या मर गया। विधिक रुप से उसकी मृत्यु हो गयी है। वादीया का भाई दातार सिंह अविवाहित ला–औलाद निर्वसीयती लापता हुआ है। यदि वह जीवित होता तो उसके बारे में वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 को अवश्य जानकारी होती। दातार सिंह पुत्र नारायण सिंह के 20–25 वर्षो से लापता हो जाने पर वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 ने व कौटुम्बीक सदस्यों व रिश्तेदारों–नातेदारों ने उसे काफी जगह भिन्न–भिन्न स्थानों पर तलाश भी किया किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। भूमि विवादग्रस्त वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 की पुश्तैनी सम्पत्ति नही है जो नारायण सिंह की मृत्यु उपरान्त वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 व दातार सिंह को प्राप्त हुई है। नारायण सिंह की मृत्यु उपरान्त भूमि वादग्रस्त पुत्र दातार सिंह पुत्र नारायण सिंह, रामकंवर, सुमन कंवर पुत्रियान नारायण सिंह हिस्सा 1/4 प्राप्त हुई थी, जिसमें से वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 ने अपने पिता से विरासत में प्राप्त हक–हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया है व अब वादीया वर्तमान में दातार सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/12, 1/12 हिस्से पर प्रतिवादीया संख्या 8 के साथ संयुक्त रुप से काबिज काश्त है। दातार सिंह पुत्र नारायण सिंह विगत 20–25 वर्षो से लापता है उसके बारे में अवश्य सुना जाता कि वह उस जगह रह रहा है। इस प्रकार वादीया के भाई दातार सिंह की सिविल मृत्यु हो चुकी है। इस कारण अब भूमि विवादग्रस्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दातार सिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा 1/12, 1/12 की खातेदारी वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 अपने नाम घोषित करवाते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी है। पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 भूमि विवादग्रस्त में दातार सिंह के निहित हक हिस्से की भूमि में वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाती नहीं करते थे किन्तु अब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की नियत में बदनियती आने लगी है इस कारण अब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 आपस में Collusion कर दातार सिंह के विगत 20–25 वर्ष से लापता हो जाने व उसकी सिविल मृत्यु हो जोने से भूमि विवादग्रस्त के दातार सिंह के हक हिस्से की भूमि जिस पर वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 काबिज काश्त है में दखलन्दाजी करने की धमकी देने लगे है इसलिये वादीया को यह वाद पेश करना लाजमी हुआ है। वादीया ने अपने भाई के विगत 20–25 वर्षो से लापता हो जाने पर पुलिस थाना गोविन्दगढ में रिपोर्ट व ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा वादीया के आवेदन पर दातार सिंह की गुमशुदगी [illegible] पुलिस थाना गोविन्दगढ को भेजे जाने पर पुलिस थाना गोविन्द[illegible] दर्ज की गई जिससे भी भलीभांति साबित है कि दातार सिंह [illegible] 20–25 वर्षो से लापता है और उसकी सिविल मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 11.11.2016 [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि विवादग्रस्त के वादीया के कब्जे काश्त में दखल करने की धमकी देने व दातार सिंह की भूमि से वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 का कोई सरोकार ही नहीं रहने की धमकी दी।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि दावा वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषण व दुरुस्ती इन्द्राजात डिक्री किया जाकर भूमि विवादग्रस्त में दातार सिंह पुत्र नारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/12, 1/12 हिस्से को दातार सिंह के विगत 20–25 वर्षो से लापता रहने व उसकी सिविल मृत्यु हो जाना मानते हुए वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 के नाम से खातेदारी भूमि घोषित की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 भूमि विवादग्रस्त में वादीया के कब्जेकाश्त में काश्त करने में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी मजाहमत पैदा नहीं करें, ना ही दातार सिंह के नाम दर्ज हक हिस्से की भूमि जो वादीया के कब्जेकाश्त में है, में अनाधिकृत रुप से प्रवेश करे, ना कब्जा करे, ना ही उक्त कृषि भूमि में लगे हरे वृक्षों को काटे ना निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करें व प्रतिवादी संख्या 9 राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होने देना सुनिश्चित करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 8, 9 बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः दिनांक 30.10.2017 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी, ग्राम पंचायत खेजरोली की बैठक कार्यवाही, कुर्सीनामा, ग्राम पंचायत का गुमशुदा प्रमाण पत्र तथा जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 पेश की। प्रकरण में दिनांक 20.11.2021 को राजीनामा हो चुका है तथा उभयपक्षकारान ने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपस में राजीनामा होने की सहमति दी। पूर्व में पेश 20.11.2021 को दौराने प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम खेजरोली में पेश राजीनामें को पक्षकारान की सहमति के आधार पर दस्दीक किया जाता है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवे[illegible] वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचि[illegible] है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आदेश [illegible] जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 242 की आराजी खसरा नम्बर 4254 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 4255 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 4257 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 का कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर व भूमि खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 241 की आराजी खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.71 हैक्टेयर, 3131 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3132 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3133 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 3134 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3135 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3137/8919 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141/8922 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 02.51 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली–बी, पटवार हल्का खेजरोली–बी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर में दातार सिंह पुत्र नारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/12, 1/12 हिस्से को दातार सिंह के विगत 20–25 वर्षो से लापता रहने व उसकी सिविल मृत्यु हो जाना मानते हुए वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 के नाम से खातेदारी भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जाते हुए दातार सिहं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियो वादीया व प्रतिवादीया सं 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में अकतन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–160/2016

उनवान

श्रीमति राम कॅवर पुत्री स्व0 श्री नारायण सिंह पत्नि श्री भवानी सिंह जाति राजपूत, निवासी भगत सिटी पेट्रोल पम्प के पास ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह
2. कंचन कंवर पुत्री गोपाल सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. बंशीधर पुत्र कजोडमल
4. कमल पुत्र कजोडमल
   जाति माली, निवासी राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि गौरी शंकर
6. श्रीमति सन्तोष पत्नि रामजीवन
7. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि सीताराम
   जाति कुमावत, निवासीयान मकान नम्बर 344, नन्दपुरी कॉलोनी, बाईस–गोदाम, जयपुर।
8. श्रीमति सुमन कंवर पुत्री स्व0 श्री नारायण सिंह पत्नि उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, निवासीया नारायण दास की छतरी के पास ग्राम कुशलपुरा वाया पीपराली, जिला सीकर राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 242 की आराजी खसरा नम्बर 4254 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 4255 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 4257 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 3 का कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 241 की आराजी खसरा नम्बर 3130 रकबा 0.71 हैक्टेयर, 3131 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3132 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3133 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 3134 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3135 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3137/8919 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3141/8922 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 02.51 हैक्टेयर पाके ग्राम खेजरोली–बी, पटवार हल्का खेजरोली–बी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ार सिंह पुत्र नारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/12, 1/12 हिस्से को दातार सिं के विगत 20–25 वर्षो से लापता रहने व उसकी सिविल मृत्यु हो जाना मानते हुए वादीया व प्रतिवादीया संख्या 8 के नाम से खातेदारी भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जाते हुए दातार सिहं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियो वादीया व प्रतिवादीया सं 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में अकतन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 15.05.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner